अज अदालत – उप खण्डअधिकारी मुकाम सीमलवाडा जिला डूँगरपुर (राज.)
पीठासीन अधिकारी – राकेश कुमार न्योल आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 19/2019 रेवेन्यु दायर दिनांक 06.03.2019
निर्णय दिनांक 13.08.2024

1. श्री भीमचंद पिता नाथू कलासुआ मीणा उम्र वयस्क निवासी पगारा तहसील झोंथरी जिला डूँगरपुर राज.

-- वादी

बनाम

1. श्री मादु पिता मनजी भील उम्र वयस्क निवासी पगारा
2. श्री रणछोड पिता मनजी रोत भील उम्र वयस्क निवासी पगारा
3. श्री गणपत पिता मनजी रोत भील आयु वयस्क निवासी पगारा
4. श्रीमति पुष्पा पति जीवा रोत मीणा आयु वयस्क निवासी पगारा
5. श्रीमति मन्जुला पत्नि रणछोड रोत मीणा आयु वयस्क निवासी पगारा
6. श्री हरिशचन्द्र पिता धनगर कलासुआ मीणा आयु वयस्क निवासी पगारा
7. श्रीमति बदी पति बदा कलासुआ भील आयु वयस्क निवासी पगारा तहसील झोंथरी जिला डूँगरपुर राज.

-- प्रतिवादीगण

दावा बाबत जारी किये जाने स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 188 रा.टी.एक्ट

उपस्थित –
वादी की ओर से – नो इन्स्ट्रक्शन किये जाने से एक्स पार्टी।
प्रतिवादी नं. 1 से 7 – अल्लाहनूर मन्सूरी, एडवोकेट।

निर्णय

वादीगण का वाद इस प्रकार है कि वादी एवं अन्य की संयुक्त खातेदारी भूमि मोजा पगारा में खाता नं. 7 में कुल खसरा 18 होकर कुल रकबा 32 बीघा 5 बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त भूमि का आज तक सभी खातेदारों के मध्य किसी तरह का मोखिक अथवा कानुनी बंटवारा नहीं हुवा है , सभी जहां पर बैठे हुए हैं वही पर काबिज होकर काश्त करते हुए आ रहे हैं । भूमि पेतृक है लेकिन प्रतिवादी नं. 1 ने जमीन की रजिस्टरी प्रतिवादी संख्या 2 के नाम करदी है इस लिए प्रतिवादीगण के नाम स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वादी द्वारा वाद प्रस्तुत किये जाने पर प्रतिवादीगण को तलब किया गया जो न्यायालय में उपस्थित होकर वकील नियुक्त कर वकालत नामा प्रस्तुत किया और अपनी ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया जाकर पत्रावली वास्ते तनकीयात के नियत की गई । प्रकरण में तनकीयात विचरित किये जाने के पश्चात् पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वादी की ओर से वादी भीमचंद स्वयं का एवं रामचन्द्र एवं अमृतलाल के शपथपत्र प्रस्तुत कर वादी ने अपने बयान लिपिबद्व करवाए लेकिन अन्य गवाहान वादी को उपस्थित रखने कई अवसर साक्ष्य हेतु दिये जाने के उपरांत भी अन्य साक्षीयों को प्रस्तुत नहीं किये जाने से साक्ष्य वादी बंद की जाकर साक्ष्य प्रतिवादी में पत्रावली नियत की गई।

प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य हेतु डीडब्ल्यु 1 के रूप में प्रतिवादी गणपत , डी डब्ल्यु 2 लालू रोत एवं डीडब्ल्यु 3 नानीया ननोमा के शपथपत्र प्रस्तुत किये गये साथ ही उक्त प्रकरण के लम्बित रहते हुए इस आशय का एक प्रार्थनापत्र आर्डर 7 रूल 11 सपठित 151 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद वर्णित आराजीयात संयुक्त खाते की होने से किसी भी खातेदार के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद न्यायालय में पोषणीय नहीं है एवं साथ ही विवादित भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण के बीच बटवारा वाद प्रकरण संख्या 09/2018 रेवेन्यु श्रीमति बदी वगैराह बनाम अमृतलाल वगैराह की पूर्व में बटवारा स्कीम मंगवाए जाने निर्णित किया गया था उसकी तहसीलदार झोंथरी से बटवारा स्कीम प्राप्त होकर इस प्रकार में अन्तिम डिकी विभाजन की

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner

09/07/2024 को जारी की जाकर बटवारा वाद निर्णित किया जा चुका है जिसकी निर्णय एवं डिकी प्रति प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली पर प्रस्तुत की गई है।

वकील प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य शपथपत्र की जिरह हेतु वादी अधिवक्ता को तलब किया गया। जिस पर वकील वादी ने प्रार्थनापत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के आवेदन पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं जताते हुए प्रार्थनापत्र की प्रति प्राप्त नहीं की एवं पत्रावली पर वादी की ओर से हिदायत पैरवी नहीं (No Instruction) होना जाहिर करते हुए पत्रावली पर हिदायत पैरवी नहीं होना अंकित किया जाने से वाद अब वादीगण की ओर से पैरवी नहीं किये जाने से स्वतः ही खारिज किये जाने योग्य हुवा लेकिन प्रार्थनापत्र आर्डर 7 रूल 11 जा.दी. का निस्तारण भी किया जाना आवश्यक होने से कि संयुक्त खाते की आराजी पर किसी भी सह खातेदार के विरूद्व उसी खाते का जिसमें वह सह खातेदार है वाद चलने योग्य नहीं होकर स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती होने से प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र आर्डर 7 रूल 11 जा.दी. स्वीकार किया जाकर एवं वादी की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा हिदायत पैरवी नहीं होना जाहिर किये जाने से वाद वादी खारिज किये जाने योग्य होने से खारिज किया जाने योग्य है।

आदेश

वादी का वाद प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र आर्डर 7 रूल 11 सपठित 151 जा.दी. का स्वीकार किये जाने से एवं वादी की ओर से उनके अधिवक्ता की ओर से हिदायत पैरवी नहीं होना जाहिर किये जाने से एवं विवादित आराजी का न्यायालय द्वारा बटवारा वाद डिकी किया जा चुका होने से वाद वादी खारिज किया जाता है। खर्चा मुकदमा पक्षकार अपना अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिकी जारी किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर होवे।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार न्योल)
उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner

डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई

(ओ. 2 रूल 6 – 7 जा. दी.)

(सिविल प्रोसिजर कोड एपिन्डिक्स ऐ)

अज अदालत – उप खण्डअधिकारी मुकाम सीमलवाडा जिला डूँगरपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – राकेश कुमार न्योल आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 19/2019 रेवेन्यु दायर दिनांक 06.03.2019

निर्णय दिनांक 13.08.2024

1. श्री भीमचंद पिता नाथू कलासुआ मीणा उम्र वयस्क निवासी पगारा तहसील झोंथरी जिला डूँगरपुर (राज.)

–– वादी

बनाम

1. श्री मादु पिता मनजी भील उम्र वयस्क निवासी पगारा
2. श्री रणछोड पिता मनजी रोत भील उम्र वयस्क निवासी पगारा
3. श्री गणपत पिता मनजी रोत भील आयु वयस्क निवासी पगारा
4. श्रीमति पुष्पा पति जीवा रोत मीणा आयु वयस्क निवासी पगारा
5. श्रीमति न्जुला पत्नि रणछोड रोत मीणा आयु वयस्क निवासी पगारा
6. श्री हतरशचन्द्र पिता धनगर कलासुआ मीणा आयु वयस्क निवासी पगारा
7. श्रीमति बदी पति बदा कलासुआ भील आयु वयस्क निवासी पगारा तहसील झोंथरी जिला डूँगरपुर (राज.)

–– प्रतिवादीगण

दावा बाबत जारी किये जाने स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 रा.टी.एक्ट

उपस्थित – वादी की ओर से – नो इन्स्ट्रक्शन किये जाने से एक्स पार्टी

प्रतिवादी नं. 1 से 7 – अल्लाहनूर मन्सूरी, एडवोकेट

वादी का वाद प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र आर्डर 7 रूल 11 सपठित 151 जा.दी. का स्वीकार किये जाने से एवं वादी की ओर से उनके अधिवक्ता की ओर से हिदायत पैरवी नहीं होना जाहिर किये जाने से एवं विवादित आराजी का न्यायालय द्वारा बटवारा वाद डिकी किया जा चुका होने से वाद वादी खारिज किया जाता है । खर्चा मुकदमा पक्षकार अपना अपना वहन करेगें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर होवे ।

ब सब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 13/08/2024 को जारी की गई।

(राकेश कुमार न्योल)
उपखण्ड अधिकारी, सीमलवाडा

उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा

मुहर

मुद्दई	रूपया/पैसा	मुद्दायला	रूपया/पैसा
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबुत मेहनताना वकील फीस कमीश्नर खर्चा गवाहान बाबत इजराय मुतफरीक		स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालनामा स्टाम्प वजह सबुत महनताना वकील फीस कमीश्नर खर्चा गवाहान मुतफरीक	
मिजान			

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा